न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00205

नेमी चन्द आत्मज श्री छोटूलाल जाति खटीक निवासी ग्राम उलेडा तहसील व जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. गिरिराज नायक आत्मज बाबूलाल जाति नायक निवासी हनुमान जी के मंदिर के पास इन्दिरा गॉधी नगर कोटा ।
2. अनिल कुमार आत्मज बद्रीलाल जाति बैरवा निवासी इन्दिरा गॉधी नगर कोटा।
3. दुर्गाशंकर आत्मज मंगल जाति धोबी निवासी 10 कॉर्नर बून्दी रोड श्रीनाथ आवास दोहन्या नान्ता कोटा जिला कोटा ।
4. शोभारानी पत्नी दिनेश जाति धोबी निवासी मालियों के नोहरे के पास गोपाल कॉलानी बारां जिला बारां ।
5. धर्मराज आत्मज देवा जाति नामालूम निवासी ग्राम संवर तहसील तालेडा जिला बून्दी
6. जमना पुत्री देवा जाति नामालूम निवासी ग्राम संवर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
7. निर्मला पुत्री देवा जाति नामालूम निवासी ग्राम संवर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
8. भूली बेवा देवा जाति नामालूम निवासी ग्राम संवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
9. प्रभूलाल आत्मज नाथू जाति मेघवाल निवासी सीन्ता तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
10. ग्यारसी बाई पत्नी प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी सीन्ता तहसील तालेडा जिला बून्दी
11. मनीष पुत्र छोटूलाल जाति नामालूम निवासी सीन्ता तहसील तालेडा जिला बून्दी।
12. शोभाराम आत्मज रामदेव जाति मेघवाल निवासी ग्राम देवरिया तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
13. उदा पुत्र किशना जाति मेघवाल निवासी ग्राम देवरिया तहसी तालेडा जिला बून्दी ।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कपिल सैनी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 27.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 88 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम संवर तहसील तालेडा जिला बून्दी में कुल 05 किता की रकबा 32 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का संयुक्त रूप से 150/648 हिस्सा है । उक्त हिस्सा वादीगण ने पूर्व खातेदार गोपाल पिता किशना से क्रय किया था । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवा कर उक्त भूमि को अपने नाम पृथक –पृथक खाते में दर्ज करावे तथा पृथक–पृथक लगान कायम करावें ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 20.12.2018 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की । तत्पश्चात् दिनांक 27.12.2018 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की । इसके उपरान्त दिनांक 21.05.2019 को संशोधित डिक्री जारी की ।

4. अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 05 ने परीक्षण न्यायालय में दिनांक 03.01.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का पेश कर परीक्षण न्यायालय में उनके खिलाफ की गई एकपक्षीय कार्यवाही व एकपक्षीय अंतिम डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 13.05.2019 के द्वारा खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 05 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिक रूप से नोटिस तामील नहीं हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री पारित की जो त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई थी। अपीलान्ट की तामील विधिक रूप से नहीं करवायी गई थी । दिनांक 19.11.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और दिनांक 20.12.2018 को प्रारम्भिक डिक्री एकपक्षीय जारी की गई है और दिनांक 27.12.2018 को अंतिम डिक्री जारी की गई । अंतिम डिक्री के लिए जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये गये हैं उसमें अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं । अपीलान्ट को सूचना

नहीं दी गई । राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई । अपीलान्ट ने एकपक्षीय अंतिम डिक्री को अपास्त करने के लिए आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि त्रुटिपूर्ण रूप से अपील मीमो में प्रारम्भिक डिक्री और अंतिम डिक्री दोनों को अपास्त करने की प्रार्थना की है परन्तु एक प्रार्थना पत्र पेश कर इसको अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील मानने का कथन किया है और प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ अपील को विड्रो किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.12.2018 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 21.05.2019 को निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट की विधि सम्मत तलबी करवायी गई थी । नोटिस तामील करवाने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर अंतिम डिक्री पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.12.2018 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 21.05.2019 बहाल रखे जावें ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, । परीक्षण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में दिनांक 19.11.2018 को अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की है । दिनांक 20.12.2018 को प्रारम्भिक डिक्री और दिनांक 27.12.2018 को अंतिम डिक्री पारित की है । दिनांक 21.05.2019 को अंतिम डिक्री को संशोधित किया गया है । अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का पेश कर एकतरफा पारित अंतिम डिक्री को निरस्त करने की प्रार्थना की है जिसको परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से खारिज किया है ।

11. परीक्षण न्यायालय में जो बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किये हैं उनका अवलोकन किया गया । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का, आई0एल0आर0 ने तैयार किये हैं और उनको तहसीलदार के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को अग्रेषित किया गया है । बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलान्ट की उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं हैं और यह भी अंकित नहीं किया गया है कि अपीलान्टगण को सूचना दी गई इसके बावजूद वो उपस्थित नहीं हुए । बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को आपत्ति पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 13.05.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.12.2018 एवं संशोधित अंतिम डिक्री दिनांक 21.05.2019 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते

हुए तहसील से पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर और बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27.9.2021

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा